P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-8* (Part-2) April- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

भारत में महिलाओं के सांवैधानिक अधिकार एवं व्यावहारिक स्थिति

रजनी मीना
सहायक आचार्य,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय महाविद्यालय,
राजगढ़, अलवर,
राजस्थान, भारत

सारांश

आजादी के पश्चात भारतीय संविधान में महिलाओं को पुरूषों के समान न केवल अधिकार ही प्रदान किये गए वरन् कतिपय मामलों मे महिलाओं को संरक्षण भी प्रदान किया गया है।

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों में महिलाओं के अधिकार समाहित है। भारतीय संविधान महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है। भारतीय संविधान में महिलाओं को पुरूषों के समान सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक अधिकार प्रदान किये गये हैं किन्तु वास्तविकता में महिलाए इन अधिकारों का पूर्ण उपभोग नहीं कर पा रही है।

किसी भी देश की राजनैतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था की सफलता एवं सार्थकता उसमें निवासरत वर्गों की सहभागिता से निर्धारित होती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15,16 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है और लोक नियोजन के अवसर में समानता प्रदान करता है किन्तु वास्तविकता में महिलाए पुरूषों के समान राजनीति में, आर्थिक क्षेत्र में एवं सामाजिक क्षेत्र में अपना स्थान नहीं बना पाई हैं और न ही नीति निर्माण में उनकी सकिय भूमिका निभा पाई है।

महिलाओं की वास्तविक स्थिति के आकलन करने पर ज्ञात होता है कि अन्य देशों कि तुलना में भारतीय महिलाओं की कार्यस्थल में समानता एवं राजनीति में प्रतिनिधित्व का स्तर निम्नतर है।

मुख्य शब्द : भारतीय संविधान, मानवाधिकार।

प्रस्तावना

भारतीय संविधान में स्त्रियों एवं पुरूषों के अधिकार समान हैं, समानता का अधिकार मानवाधिकारों मे से ही एक हैं जो कि लैंगिक समानता पर बल देता है। स्त्री–पुरूष दोनों की गरिमा को बराबर सम्मान प्रदान करता है। मानव अधिकार वे अधिकार हैं। जो हमारे मानव होने के कारण प्रकृति प्रदत्त एवं स्वभाविक रूप से मानव को प्राप्त है। मानवाधिकार ही मनुष्य को गरिमापूर्ण जीवनयापन करने की आवश्यक दशाएँ है जिसे प्राप्त करने के बाद ही कोई व्यक्ति अपनी क्षमताओं और योग्यताओं का प्रयोग स्वयं के विकास एवं समाज विकास के लिए कर सकता है। भारतीय संविधान स्त्रियों एवं पुरूषों के लिए समान अधिकारों की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान लैंगिक आधार पर स्त्रियों को कतिपय मामलो में संरक्षण की व्यवस्था भी करता है, जिससे वे अपने अधिकारों का खुलकर उपभोग कर सके। भारतीय संविधान मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 में मोटे तौर पर 6 श्रेणियो के अंतर्गत महिलाओं को भी पुरूषों के समान अधिकार प्रदान करता है।

समानता का अधिकार

जिसमे विधि के समक्ष समानता तथा विधियों का समान संरक्षण (अनु. 14) धर्म, मूलवंश,जाति, लिंग या जन्म स्थल के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (अनु.15) लोक नियोजन के विषय मे अवसर की समानता (अनु.16) और अस्पृष्यता तथा उपाधियो का अंत (अनु.17 और 18) शामिल है।

स्वतंत्रता का अधिकार

जिसमे जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार (अनु. 21) शिक्षा का अधिकार (अनु.21क) विचार अभिव्यक्ति सम्मेलन संघ बनाने भारत के किसी भी भाग मे जाने निवास करने बस जाने एवं पेशा या व्यवसाय करने का अधिकार शामिल है (अनु.19)

शोषण के विरूद्ध अधिकार

जिसमें बेगार बालश्रम मानव के दुर्व्यवहार का निषेध किया गया है।(अनु.25से28)

1. अंतः करण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता (अनु. 25 से 28)
2. अल्पसख्यकों का अपनी संस्कृति भाषा और लिपि को बनाए रखने तथा अपनी रूचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार (अनु.29 तथा 30)
3. इन सभी मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए

सांवैधानिक उपचारों का अधिकार

उपर्युक्त मौलिक अधिकार संविधान में महिलाओं और पुरूषों को समान रूप से प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त उपर्युक्त अधिकारों का यदि राज्य द्वारा उल्लंघन किया गया या राज्य इस प्रकार की कोई विधि बनाता है तो उल्लंघन की मात्रा को शून्य करने हेतु भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13(2) स्थापित किया गया है। यहाँ तक की अनु.15 (3) (4) तथा 5 राज्यों को स्त्रियों तथा बच्चों के लिए और सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के लिए प्रावधान करते हैं।

इस प्रकार भारतीय संविधान स्त्रियों को पुरूषों के समान न केवल समान मौलिक अधिकार प्रदान करता है वरन खंड 15 अनु. मे विभेद न करने में भी आपवादिक स्वरूप के रूप मे स्त्रियों का संरक्षण ही करता है। नीति निर्देशक तत्वों में को भी भारतीय संविधान में पर्याप्त स्थान दिया गया है और शासन से अपेक्षा की गई है कि शासन के संचालन मे उन्हें मूलभूत समझा जाए। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में महिलाओं के जीवन से जुड़े हुए मानवीय पक्ष को ध्यान में रखा गया है। अनु. 39 समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है एवं अनु. 42 व 43 में राज्य से कर्मकारों हेतु मानवोचित दशाओं के साथ प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने अपेक्षा की गई है संविधान के अनु.44 में राज्य मे देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक सहिंता लागू करने की अपेक्षा की गई है।

भारतीय संविधान मे नीति निर्देशक तत्वों द्वारा महिलाओं के संरक्षण हेतु पर्याप्त व्यवस्था की है समान कार्य के लिए समान वेतन एवं गर्भावस्था में महिलाओं की मानवीय अपेक्षाओं से भी राज्य का सरोकार स्थापित करने का प्रयास किया गया है। राज्यों को इस अनुच्छेद में गर्भावस्था के दौरान काम करने के लिए छूट तथा अवकाष देन का अधिकार है।

नीति निर्देशक तत्व न्यायालयों में प्रवर्तनीय नहीं है किन्तु सर्वोच्च न्यायालय के कतिपय निर्णयों में यह स्पष्ट हुआ कि मौलिक अधिकारों की व्याख्या नीति निर्देशक तत्वों के आलोक में की जाएगी। इस परिप्रेक्ष्य में नीति निर्देशक तत्वों का महत्व और भी बढ. जाता है।

अनुच्छेद 51 (क), (ड) में भारत के सभी लोगों में ऐसी प्रथाओं का त्याग करने की अपेक्षा की गई है जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हो। 73 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम में भी पंचायती राज संस्थाओं के कुल स्थानो में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है, और इसमें यह भी प्रावधान कि अनु.जाति एवं अनु.जनजाति का आरक्षण भी उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर निर्धारित किया जाए। यदि किसी राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत हो कि अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है तो राज्य सरकारों द्वारा ऐसा किया जा सकता है। 74 वॉ संविधान संशोधन भी शहरी निकायों में 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए स्थानों को भी आरक्षित करता है साथ ही अनु.जाति एवं जनजाति वर्ग की महिलाओं के लिए भी आक्षण की व्यवस्था करता है।

भारतीय संविधान में संविधान निर्माण के साथ ही महिलाओं और पुरूषों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए हैं। महिलाओं को भी पुरूषों के समान वयस्क मताधिकार एवं चुनावो में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है।

संविधान द्वारा प्रदत्त इन अधिकारों के बावजूद भी भारतीय महिलाओं की स्थिति चिंतनीय है। भारतीय समाज में महिलाओं को वह दर्जा आज भी प्राप्त नहीं हो पाया है जो होना चाहिए। भारत में बालविवाह, दहेजप्रथा, संपति के अधिकार का महिलाओं द्वारा वास्तविकता में प्रयोग न कर पाना, यौन उत्पीड़न इत्यादि समस्याएं है जिसके कारण महिलाएँ पुरूषों की तुलना में दौयम दर्जे के व्यवहार की स्थिति में है। भारतीय समाज में महिलाओं के आत्मनिर्भर न होने के कारण एवं पुरूषों पर आर्थिक निर्भरता होने के कारण महिलाएँ अपने साथ होने वाले अन्याय का खुलकर विरोध करने की स्थिति में नहीं है। भारत में महिलाओं को पैतृक संपत्ति में कानूनी अधिकार प्राप्त है किन्तु पैतृक संपत्ति के अधिकार लेने पर पितृ पक्ष द्वारा सामाजिक बहिष्कार किये जाने के डर से महिलाएँ अपने इस अधिकार का खुलकर उपयोग नहीं करती है। भारतीय समाज में महिलाओं द्वारा अधिकांशतः कानूनी अधिकारों का प्रयोग उसी सीमा तक किया जाता है जिस सीमा तक वे सामाजिक नियमों के अनुकूल हो। भारतीय समाज मूलतः पुरूष प्रधान हाने के कारण एवं महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक निर्भरता पुरूषों पर हाने के कारण महिलाएँ अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पा रही है।

अतः इस दिशा में सामाजिक परिवर्तन और महिलाओं की आर्थिक निर्भरता, महिलाओं को पुरूषो के समान स्थान दिलाने में सार्थक सिद्ध हो सकता है।

भारतीय संविधान महिलाओं के संरक्षण के लिए लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है तथा भारतीय संविधान नीति निर्देषक तत्वों में सरकार से यह अपेक्षा करता है कि शासन में उन्हें मूलभूत समझा जाए, इस प्रकार संविधान सरकार को महिलाओं के हित में विशेष प्रावधान करने की अनुमति भी देता है।

भारतीय संविधान सभ्यता के प्रभाव से वंचित रहे एवं समाज की मुख्यधारा से कटे हुए पिछडे वर्ग की महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने का प्रयास भी करता है। भारत में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति का आंकलन करने पर ज्ञात होता है कि भारतीय संविधान में महिलाओं के पर्याप्त संरक्षण होने के बावजूद भी भारतीय महिलाएँ इन प्रावधानों का लाभ पूर्ण रूप से नहीं उठा पा रही है। हमारे देश की कुल आबादी में महिलाएँ 48 प्रतिशत है किन्तु केन्द्र और राज्य सरकारों में उनका

प्रतिनिधित्व बेहद कम है। 17 वीं लोकसभा के संदर्भ में दृष्टिपात करने से ज्ञात होता कि 545 सदस्यों वाली लोकसभा में संख्या के अनुपात में मात्र 12 प्रतिशत महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो पाया है। ये पुरूष वर्चस्वादी सोच का ही परिणाम है की लोकसभा में महिला आरक्षण के लिए संविधान संशोधन बिल पर सर्वानुमति नहीं बन सकी है। विधायिका में महिला आरक्षण पर वर्षो से गतिरोध बना हुआ है। यह विधेयक संविधान संशोधन के जरिये लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान करता है।

भारत में संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति पड़ोसी देशों की तुलना में बदतर है। इंटर पार्लियामेंट यूनियन की ताजा रिर्पोट में संसद के निचले सदन में महिला प्रतिनिधियों वाले 193 देशों की सूची में भारत का स्थान 179 वां है। लोकसभा में केवल 66 सीटो पर महिला सांसद हैं। कुल सांसदो में महिलाओं की हिस्सेदारी मात्र 12.6 प्रतिशत है जबकि वैश्विक औसत 24.3 प्रतिशत है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में महिला सांसदो की भागीदारी 20.2 प्रतिशत है, अफगानिस्तान में 27.5 प्रतिशत एवं नेपाल में 32.7 प्रतिशत है। रवाड़ा देश संसद मे महिलाओ के प्रतिनिधित्व की दृष्टि से विश्व मे प्रथम स्थान पर है।

भारतीय संसद में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के कारणों में से पितृसतात्मक समाज, महिलाओं को टिकट देने के लिए राजनीतिक दलों के बीच अनिच्छा, महिला जागरूकता का अभाव इत्यादि है। महिलाओं को सामाजिक और पारिवारक क्षेत्र में द्वितीय स्तर पर माना जाता है। राजनीति के दूषित अपराधिक वातावरण के कारण राजनीति में भाग लेनेवाली महिलाओं के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का अभाव भी महिलाओं की राजनीति में सक्रियता में रूचि को कम करता है।

भारत में महिलाओं को पुरूषों के समान वेतन प्रदान करने की वैश्विक परिदृश्य से तुलना करने पर ज्ञात होता है कि भारत में महिलाओं को पुरूषों से 36 फीसदी कम वेतन मिलता है जबकि चीन में महिलाओ को पुरूषों की तुलना में 25 प्रतिशत कम वेतन मिलता है।

महिला सशक्तिकरण, स्त्री–पुरूष समान वेतन रोजगार के अवसर, नौकरी सुरक्षा इत्यादि प्रदान करने में आईसलैण्ड सर्वश्रेष्ठ देश है। अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ऑडिटर कंपनी प्राइस वाटरहाउस कूपर्स ने विमिन वर्क इंडेक्स 2019 जारी किया। इसमें आर्थिक व विकास संगठन के 33 देशो में कार्यस्थल में महिलाओं की हिस्सेदारी बताई है। सूची में आइसलैण्ड 79.1 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पर है जबकि स्वीडन 73.6 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। न्यूजीलैण्ड 73.6 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। भारत एवं चीन आर्थीक सहयोग व विकास संगठन (आइसीडी) में शामिल है किन्तु सर्वे में शामिल नहीं है। यदि भारत और चीन को इस सूची में शामिल किया जाता तो भारत का स्थान आखिरी (33 वॉ) होता जबकि चीन का स्थान 26–27 के बीच का होता ।

वैश्विक परिदृश्य में जनसंख्या के दृष्टि से चीन का प्रथम स्थान है और भारत का द्वितीय किन्तु महिलाओं की कार्यस्थल में हिस्सेदारी एवं पुरूषों के समान वेतन की स्थिति चिंतनीय है।

भारतीय संविधान में नीति निर्देषक तत्वों में महिलाओं को पुरूषों के समान ही समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करने का प्रावधान किया गया है,

फिर भी कार्यस्थल में महिलाएँ पुरूषों की तुलना में कम वेतन पर ही कार्य कर रही है।

निष्कर्ष

निः सन्देह भारतीय संविधान में महिलाओं को पूर्ण अधिकार प्रदान किए गए है। इन अधिकारों के समुचित उपयोग के लिए महिलाओं की शिक्षा पर समुचित ध्यान दिए जाने की आवष्यकता है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाए जाने हेतु प्रयास किए जाने चाहिए जिससे उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न हो सकें। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार एवं कानूनी अधिकारों को सशक्त क्रियान्वयन के माध्यम से भी महिलाओं की स्थिति को सशक्त किया जा सकता है। सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से महिलाओं कि स्थिति मे सुधार हो सकता है। समाज में महिलाओं की सक्रियता और भागीदारी को सम्मानजनक रूप से देखा जाना चाहिए। राजनीतिक दलों के द्वारा महिलाओं को प्रतिनिधियात्मक संस्थाओं में उचित अवसर प्रदान करने चाहिए क्योंकि जब तक किसी भी समाज मे महिलाओं को पुरूषों के समान सम्मानजनक स्थान एवं व्यक्तित्व के विकास के समुचित अवसर प्राप्त नहीं होगें तब तक उस समाज का विकास अपूर्ण है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 28,से28, 29 तथा 30, 39, 42, 43, 44

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 क, 73, 74

राजस्थान पत्रिका,पृष्ठ संख्या 6,दिनांक 14 मार्च 2019

राजस्थान पत्रिका, पृष्ठ संख्या 8,दिनांक , 16 मार्च 2019

राजस्थान पत्रिका , पृष्ठ संख्या 6,दिनांक 21 जून 2019

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 73, 74